सत्यमेव जयते

| राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| भाद्र 27, गुरूवार, *शाके* 1947- सितम्बर 18, 2025<br>Bhadra 27, Thursday, Saka 1947- September 18, 2025 | |

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

**विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग**

**(ग्रुप-2)**

अधिसूचना

**जयपुर, सितम्बर 17, 2025**

**संख्या प.2(26)विधि/2/2025.-** राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 सितम्बर, 2025 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

**राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर अधिनियम, 2025**

**(2025 का अधिनियम संख्यांक 14)**

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 सितम्बर, 2025 को प्राप्त हुई)

नैदानिक सेवाओं को उच्चतम मानक की व्यापक विशिष्टताओं के साथ अतिविशिष्टताओं को सहबद्ध विषयों को विकसित करने, चिकित्सा अध्यापकों को उच्चतम कोटि का प्रशिक्षण प्रदान करने और सन्दर्भ-विशिष्ट अनुसंधान और नवाचार करने के उददेश्य से जयपुर में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना करने तथा उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर अधिनियम, 2025 होगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

**2. परिभाषाएं.-** इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "निदेशक" से धारा 10 के अधीन नियुक्त संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है;

(ख) "निधि" से धारा 26 में निर्दिष्ट संस्थान की निधि अभिप्रेत है;

(ग) "शासी निकाय" से धारा 16 के अधीन गठित संस्थान का शासी निकाय अभिप्रेत है;

(घ) "सरकार" से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "संस्थान" से इस अधिनियम के अधीन निगमित राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर नामक संस्था अभिप्रेत है;

(च) "सदस्य" से संस्थान का सदस्य अभिप्रेत है;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित, अभिप्रेत है;

(ज) "प्रेसीडेन्ट" से धारा 9 में निर्दिष्ट संस्थान का प्रेसीडेन्ट अभिप्रेत है;

(झ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

(ञ) "खोजबीन एवं चयन समिति" से धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(ट) "प्रभारी सचिव" से किसी विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव या कोई प्रमुख सचिव, जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो सम्मिलित है;

(ठ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(ड) "अध्यापक" में वरिष्ठ आचार्य, आचार्य, अतिरिक्त आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, व्याख्याता या इस अधिनियम के अधीन संस्थान में प्रशिक्षण, अनुसंधान के संचालन या चिकित्सा, सह-चिकित्सा, नर्सिंग या अन्य शिक्षा प्रदान करने के लिए, नियुक्त कोई व्यक्ति सम्मिलित है।

**3. संस्थान की स्थापना.-** राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), जयपुर इसके द्वारा उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय के रूप में गठित किया जायेगा और ऐसे निगमित निकाय के रूप में, यह राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उसे, सम्पत्ति अर्जित, धारित और व्ययनित करने तथा संविदा करने की शक्ति के साथ उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उस नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

**4. संस्थान के सदस्य.-** संस्थान निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(क) मुख्य सचिव,-पदेन;

(ख) प्रभारी शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग,-पदेन;

(ग) प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग,-पदेन;

(घ) कुलगुरु, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर,- पदेन;

(ङ) आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार - पदेन;

(च) संस्थान का निदेशक, पदेन;

(छ) निदेशक, (लोक स्वास्थ्य) चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार पदेन;

(ज) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य विधानसभा का एक सदस्य;

(झ) महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद या उसका प्रतिनिधि जो अतिरिक्त महानिदेशक से नीचे की रैंक का न हो;

(ञ) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली, या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, परन्तु वह प्रतिनिधि आचार्य की रैंक धारण करता हो और आचार्य के रूप में सात वर्ष से कम का अनुभव नही रखता हो;

(ट) निदेशक, स्नात्तकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, परन्तु वह प्रतिनिधि आचार्य की रैंक धारण करता हो और आचार्य के रूप में सात वर्ष से कम का अनुभव नही रखता हो;

(ठ) निदेशक, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, परन्तु वह प्रतिनिधि आचार्य की रैंक धारण करता हो और आचार्य के रूप में सात वर्ष से कम का अनुभव नही रखता हो;

(ड) निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, परन्तु वह प्रतिनिधि आचार्य की रैंक धारण करता हो और आचार्य के रूप में सात वर्ष से कम का अनुभव नही रखता हो;

(ढ़) निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, परन्तु वह प्रतिनिधि आचार्य की रैंक धारण करता हो और आचार्य के रूप में सात वर्ष से कम का अनुभव नही रखता हो;

(ण) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, परन्तु वह प्रतिनिधि आचार्य की रैंक धारण करता हो और आचार्य के रूप में सात वर्ष से कम का अनुभव नही रखता हो;

(त) प्रेसीडेन्ट, आई.आई.एच.एम.आर. विश्वविद्यालय, जयपुर या उसका सम्यक् प्रतिनिधि, परन्तु वह प्रतिनिधि आचार्य की रैंक धारण करता हो और आचार्य के रूप में सात वर्ष से कम का अनुभव नही रखता हो;

(थ) संस्थान के समस्त संकायाध्यक्ष- पदेन; और

(द) अधिकतम दो सदस्य, जो आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हों, का चयन खोजबीन एवं चयन समिति द्वारा ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से, जैसा कि विहित किया जाये, किया जायेगा।

**5. सदस्यों की पदावधि.-** (1) इस धारा में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, पदेन सदस्य से भिन्न, किसी सदस्य की पदावधि, चयन की दिनांक से पांच वर्ष होगी।

(2) धारा 4 के खण्ड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट किये गये सदस्य की पदावधि, जैसे ही वह राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाता, यथाशीघ्र समाप्त हो जायेगी ।

(3) किसी पदेन सदस्य की पदावधि, उतने समय तक, जब तक वह अपने पदाभिधान के आधार पर ऐसा सदस्य है, जारी रहेगी।

(4) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट या चयनित सदस्य की पदावधि जिस सदस्य के स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट या चयनित किया गया है, उसके कार्यकाल के शेष भाग के लिए जारी रहेगी।

(5) धारा 4 के खण्ड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य से भिन्न कोई बहिर्गामी सदस्य तीन माह की कालावधि के लिए या जब तक उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति सदस्य के रूप में चयनित नहीं हो जाता या जो भी पहले हो अपने पद पर तब तक बना रहेगा।

(6) बहिर्गामी सदस्य पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

(7) कोई सदस्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा पद त्याग कर सकेगा, किन्तु वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका त्यागपत्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता।

**6. संस्थान की बैठक.-** संस्थान ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा, जैसा कि प्रेसीडेन्ट समय-समय पर अवधारित करे और ऐसी बैठकों के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा, जो विनियमों द्वारा अधिकथित की जाये:

परन्तु संस्थान को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बैठक करनी होगी:

परन्तु यह और कि संस्थान को अपनी प्रथम बैठक में कार्य संचालन के सम्बन्ध में ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा, जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

**7. संस्थान के उद्देश्य.-** संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे,-

(क) समस्त विशिष्टताओं में आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतम स्तर की चिकित्सीय देखरेख, शैक्षिक और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र का सृजन करना;

(ख) चिकित्सा शिक्षा के उच्च मानक स्थापित करने के लिए, चिकित्सा शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्यापन के पैटर्न विकसित करना;

(ग) स्वास्थ्य क्रियाकलापों की समस्त महत्वपूर्ण शाखाओं में कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए उच्चतम स्तर की शैक्षिक सुविधाओं को, यथाशक्य, एक ही स्थान पर, संयोजित करना;

(घ) राज्य की विशिष्टता प्राप्त और चिकित्सा अध्यापकों के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में आत्म निर्भरता प्राप्त करना; और

(ङ) नैदानिक और लोक स्वास्थ्य के स्तरों पर बेहतर नतीजों के लिए पूरक समाधानों के लिए साक्ष्य खोजने हेतु इन्टीग्रेटिव मेडिसिन स्ट्रैटेजी पर ध्यान केन्द्रित करना; और

(च) राजस्थान राज्य के स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दों को हल करने के लिए अनुसंधान सुविधाएं विकसित करना।

**8. संस्थान की शक्तियां तथा कृत्य.-** धारा 7 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को प्रोन्नत करने के उददेश्य से, संस्थान-

(क) एक क्वाटरनरी रेफरल चिकित्सालय के रूप में कार्य करेगा;

(ख) आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और भौतिक तथा जैविक विज्ञान सहित, अन्य सम्बद्ध विज्ञान में अनन्य स्नातकोत्तर अध्यापन के लिए उपबंध करेगा;

(ग) आयुर्वेद, योग, और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) सहित आयुर्विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में, अनुसंधान की सुविधाओं के लिए उपबंध करेगा;

(घ) मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अध्यापन के लिए उपबंध करेगा;

(ङ) चिकित्सा शिक्षा की नई पद्धतियों, में ऐसी शिक्षा के संतोषप्रद मानकों तक पहुंचने के लिए प्रयोगों का संचालन करेगा;

(च) चिकित्सा शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या विनिर्दिष्ट करेगा;

(छ) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्चतर अध्ययन को विनियमित करने के सम्बन्ध में,-

(i) विभिन्न विषयों में चिकित्सा शिक्षा देने के लिए पर्याप्त कर्मचारिवृंद एवं उपस्करों युक्त, विभिन्न विभागों सहित चिकित्सा महाविद्यालय की,

(ii) उपस्करों से सुसज्जित एक या अधिक चिकित्सालयों की,

(iii) दन्त चिकित्सा के अभ्यास और छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण, जैसा आवश्यक हो, के लिए ऐसी संस्थागत सुविधाओं के साथ एक दन्त चिकित्सा महाविद्यालय की,

(iv) नर्सों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त रूप से कर्मचारिवृंद एवं उपस्कर युक्त एक नर्सिंग महाविद्यालय की,

(v) संस्थान के चिकित्सा, दन्त चिकित्सा और नर्सिंग छात्रों के लिए क्षेत्र प्रशिक्षण के साथ-साथ सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं में अनुसंधान करने के लिए केन्द्रों को बनाने वाले ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य संगठनों की, और

(vi) विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कर्मियों, जैसे फिजियोथैरेपिस्ट, व्यवसाय चिकित्सक, भेषजज्ञ, ड्रग एनालिस्ट और विभिन्न प्रकार की चिकित्सा तकनीकियों के प्रशिक्षण के लिए अन्य संस्थाओं की,

स्थापना और अनुरक्षण करेगा;

(ज) राजस्थान के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्यापकों को प्रशिक्षित करेगा;

(झ) परीक्षाएं संचालित करेगा और चिकित्सा शिक्षा में ऐसी डिग्रियां, डिप्लोमे और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां, सम्मानिक उपाधियां, अवार्ड, पुरस्कार और उपाधियां जैसा कि विनियमों में अधिकथित किया जाये, प्रदान करेगा;

(ञ) विनियमों के अनुसार अध्यापकों, अधिकारियों और किसी भी प्रकार के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा;

(ट) सरकार से अनुदान और दानदाताओं, उपकारी व्यक्तियों, वसीयतकर्ताओं, या यथास्थिति, अंतरकों से दान, संदान, उपकृति, वसीयत और स्थावर तथा जंगम दोनों सम्पत्ति का अंतरण प्राप्त करेगा;

(ठ) संस्थान की या उसमें निहित किसी सम्पत्ति का ऐसी रीति से, जैसा कि धारा 7 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को प्रोन्नत करने के लिए आवश्यक समझा जाये, प्रबंध करेगा;

(ड) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों की, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, मांग करेगा और प्राप्त करेगा;

(ढ़) सरकार की नीतियों के अनुसार पात्र रोगियों के लिए मुफ्त उपचार का उपबंध करेगा;

(ण) अपने कर्मचारिवृंद के लिए क्वार्टरों का निर्माण करेगा और इस निमित्त बनाये गये ऐसे विनियमों के अनुसार, ऐसे क्वार्टरों को कर्मचारिवृंद को आबंटित करेगा;

(त) संस्थान की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, धन उधार लेगा;

(थ) प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तरों पर विभिन्न रोगों के उपचार के प्रोटोकॉल में नवाचार करेगा और राज्य सरकार के विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में उपचार की गुणवत्ता सुधारने में सहायता करेगा;

(द) ऐसे समस्त अन्य कार्य और बातें करेगा, जैसा कि धारा 7 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक समझा जाये।

**9. प्रेसीडेन्ट.-** (1) मुख्य सचिव संस्थान का प्रेसीडेन्ट होगा और वह शासी बोर्ड का अध्यक्ष भी होगा।

(2) प्रेसीडेन्ट, उपस्थित होने पर, संस्थान की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:-

(क) यह सुनिश्चित करना कि संस्थान के कार्यकलापों का प्रशासन इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुसार संचालित हों और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ऐसे कदम उठाना, जैसा कि वह उचित समझे;

(ख) संस्थान के कार्यकलापों के प्रशासन से संबंधित ऐसी सूचना या अभिलेखों को मांगना, जैसा कि वह उचित समझे;

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जैसा कि उसे इस अधिनियम द्वारा समनुदेशित किया जाये या जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाये या विनियमों में अधिकथित किया जाये।

**10. संस्थान का निदेशक.-** (1) संस्थान का एक निदेशक होगा, जो सरकार द्वारा, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन एवं चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जायेगा, अर्थात्:-

(क) संस्थान का प्रेसीडेन्ट;

(ख) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली;

(ग) निदेशक, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जे.आई.पी.एम.ई.आर.), पुदुचेरी;

(घ) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई;

(ङ) निदेशक, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, (पी.जी.आई.एम.ई.आर.) चंडीगढ़;

(च) कुलगुरु, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर;

(छ) चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभारी शासन सचिव, जो समिति का संयोजक भी होगा।

(2) खोजबीन एवं चयन समिति, उसके द्वारा तैयार किये गये तीन नामों के पैनल को ऐसे पैनल में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षणिक अर्हताओं और अन्य विशेष उपाधियों को दर्शित करते हुए, एक संक्षिप्त विवरण के साथ सरकार को अग्रेषित करेगी।

(3) सरकार, उप-धारा (2) के अधीन प्रस्तुत किये गये नामों के पैनल में से निदेशक को नियुक्त करेगी।

(4) कोई व्यक्ति, निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा, जो स्वास्थ्य परिचर्या, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रख्यात शिक्षाविद् नही हो, तथा जिसे चिकित्सा शिक्षा में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान या सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय या इस संस्थान के आचार्य के रूप में न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव नही हो और साथ ही वह निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव भी रखता हो-

(क) एम.बी.बी.एस के साथ चिकित्सा या शल्य चिकित्सा या लोक स्वास्थ्य और उसकी शाखाओं में स्नातकोत्तर अर्हता,

(ख) एक शैक्षणिक परिवेश में स्वास्थ्य परिचर्या, चिकित्सा अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कम-से-कम एक वर्ष का विस्तृत व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव रखता हो। इसके लिए निम्नलिखित प्रकार के कार्य-अनुभव की गणना इस मानदंड के विरुद्ध सुसंगत अनुभव के रूप में की जायेगी:-

(i) संस्थान का प्रधान;

(ii) विभाग का प्रधान;

(iii) संकायाध्यक्ष;

(iv) अतिरिक्त प्राचार्य/उप-संकायाध्यक्ष;

(v) चिकित्सा अधीक्षक;

(vi) उपरोक्त के समरूप अनुभव।

**स्पष्टीकरण.-** अनुभव की समरूपता उप-धारा (1) के अधीन गठित खोजबीन और चयन समिति द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

(5) निदेशक, संस्थान के साथ-साथ शासी निकाय के सदस्य-सचिव के रूप में भी कार्य करेगा।

(6) निदेशक, जिस तारीख को वह पदभार ग्रहण करता है, से पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगाः

परन्तु प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त निदेशक की पदावधि तीन वर्ष होगी, जिसे पांच वर्ष तक या सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि यदि राष्ट्रीय महत्व के किसी समरूप प्रकार के संस्थान के प्रधान होने का पूर्व अनुभव हो, यदि वह निदेशक के पद पर चयनित किया जाता है, तो शासी निकाय, पांच वर्ष की कुल समय-सीमा के भीतर रहते हुए, अधिकतम सड़सठ वर्ष की आयु-सीमा को सत्तर वर्ष तक शिथिल कर सकेगा।

(7) संस्थान का प्रथम निदेशक, उप-धारा (1) से (3) में अधिकथित प्रक्रिया का पालन किये बिना, सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।

(8) जहां निदेशक के पद की कोई रिक्ति आती है और वह उप-धारा (1) से (3) के उपबंधों के सुविधाजनक रूप से और शीघ्रता से नहीं भरी जा सकती या कोई अन्य आपातकाल की स्थिति है, तो सरकार निदेशक के रूप में किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी और समय-समय पर, इस उप-धारा के अधीन नियुक्ति की पदावधि को बढ़ा सकेगी, तथापि ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि, मूल आदेश में नियत पदावधि को सम्मिलित करते हुए एक वर्ष से अनधिक की होगी।

(9) निदेशक की सेवा की शर्तें, उसे अनुज्ञेय वेतन, परिलब्धियां, भत्ते, छुट्टियां, पेंशन और भविष्य निधि को सम्मिलित करते हुए, ऐसी होंगी, जैसी कि विहित की जायें, और जब तक इस प्रकार विहित न की जाये, सरकार द्वारा अवधारित की जायेंगी।

**11. निदेशक का हटाया जाना.-** (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन संचालित निरीक्षण की रिपोर्ट पर या प्रेसीडेन्ट की रिपोर्ट पर या अन्यथा, यह पाया जाता है कि निदेशक इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यह प्रतीत होता है कि निदेशक का पद पर बने रहना संस्थान के हितों के लिए हानिकर है तो सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, निदेशक को हटा सकेगी:

परन्तु सरकार, ऐसा आदेश करने से पूर्व, जांच लंबित रहने के दौरान, निदेशक को किसी भी समय निलंबित कर सकेगीः

परन्तु यह और कि ऐसा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि निदेशक को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लंबित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए सरकार, यह आदेश दे सकेगी कि अगले आदेश तक-

(क) ऐसा निदेशक, निदेशक के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन उपलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;

(ख) निदेशक के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

**12. निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य.-** (1) निदेशक, संस्थान का मुख्य कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निदेशक-

(क) संस्थान के कार्यकलापों का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण करेगा;

(ख) संस्थान के प्राधिकारियों के विनिश्चयों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा;

(ग) संस्थान में शिक्षा देने और अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) जहां कोई मामला अत्यावश्यक प्रकृति का है जिसमें तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है और वह संस्थान के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा, जो इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन उसका निपटारा करने के लिए सशक्त है, तुरंत निपटाया नहीं जा सकता हो वहां, निदेशक ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जो वह उचित समझे और उस अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को सूचित करेगा, जो या जिसे सामान्य अनुक्रम में, उस मामले का निपटारा करना था:

परंतु यदि ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की यह राय है कि निदेशक द्वारा ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह उस मामले को शासी निकाय को निर्दिष्ट कर सकेगा, जो निदेशक द्वारा की गई कार्रवाई को या तो पुष्ट कर सकेगा या उसे बातिल कर सकेगा या ऐसी रीति से, जो वह उचित समझे, उसे उपांतरित कर सकेगा और तदुपरान्त यह प्रभावी नहीं रहेगा, या यथास्थिति, इसका उपांतरित रूप में प्रभाव होगा:

परंतु यह और कि ऐसे बातिलकरण या उपांतरणों का, जैसा कि अंतिम पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट है, निदेशक के आदेश के द्वारा या अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

(4) जहां उप-धारा (3) के अधीन निदेशक द्वारा शक्ति का प्रयोग करने में किसी व्यक्ति की नियुक्ति करना अंतर्ग्रस्त है वहां ऐसी नियुक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्ति किये जाने पर या निदेशक के आदेश की तारीख से छह माह की कालावधि के अवसान होने पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।

(5) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन समनुदेशित किये जायें या उसे संस्थान या प्रेसीडेन्ट या शासी निकाय द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें।

**13. सह-निदेशक.-** (1) संस्थान के लिए एक सह-निदेशक होगा।

(2) सह-निदेशक सरकार द्वारा चयन प्रक्रिया के माध्यम से, जैसा कि विहित किया जाये, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जायेगा।

(3) चयन प्रक्रिया के अनुसार, चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभारी सचिव, भारतीय प्रशासनिक सेवा या केन्द्रीय सिविल सेवा या सशस्त्र बल या राजस्थान प्रशासनिक सेवा, से सम्बन्धित अधिकारी जो, यथास्थिति, उस रैंक के होंगे, जैसा कि विहित किया जाये, के तीन नामों का एक पैनल अग्रेषित

करेगा। सह-निदेशक, सरकार द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत किये गये नामों के पैनल में से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जायेगा।

(4) सह-निदेशक के पारिश्रमिक और भत्ते संस्थान द्वारा संदत्त किये जायेंगे। सह-निदेशक की पदावधि तीन वर्ष होगी जो संस्थान की सिफारिश पर सरकार द्वारा पांच वर्ष तक के लिए बढ़ायी जा सकेगी।

(5) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा पचपन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(6) निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण के अध्यधीन, सह-निदेशक संस्थान के साधारण प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) सह-निदेशक के पास ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य होंगे, जैसा कि विहित किया जाये।

**14. वित्त अधिकारी.-** (1) संस्थान के लिए एक वित्त अधिकारी होगा, जो राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जायेगा और उसका पारिश्रमिक और भत्ते, यदि कोई हो, संस्थान द्वारा संदत्त किये जायेंगे।

(2) वित्त अधिकारी शासी निकाय के समक्ष बजट और लेखाओं के विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) वित्त अधिकारी का कर्तव्य होगा-

(क) संस्थान द्वारा, बजट में प्राधिकृत नही किये गये किसी व्यय को उपगत नहीं किया जाये यह सुनिश्चित करना;

(ख) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले किसी प्रस्तावित व्यय को नामंजूर करना;

(ग) संपरीक्षा के दौरान इंगित की गयी किसी अनियमितता को ठीक करने के लिए कदम उठाना और कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की गयी है यह सुनिश्चित करना;

(घ) संस्थान की संपत्ति और विनिधान सम्यक् रूप से संरक्षित और प्रबंधित किये जायें यह सुनिश्चित करना।

(4) वित्त अधिकारी, संस्थान के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और उसके कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी सूचना, जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक है, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(5) वित्त अधिकारी के पास ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य होंगे जो विहित किये जायें।

(6) वित्त अधिकारी, निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण के अध्यधीन रहेगा।

**15. संस्थान के अध्यापक, अन्य अधिकारी और कर्मचारी.-** (1) संस्थान, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, ऐसी संख्या में अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जो इसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों और ऐसे अध्यापकों, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदनामों और ग्रेड को अवधारित कर सकेगा।

(2) संस्थान के अध्यापक, अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, ऐसे वेतन, परिलब्धियां और भत्तों के हकदार होंगे और छुट्टी, पेंशन, भविष्य

निधि और अन्य मामलों के सम्बन्ध में सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा जैसी कि विहित की जायें, शासित होंगे।

(3) संस्थान के अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की प्राइवेट प्रैक्टिस या कोचिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(4) कोई व्यक्ति, संस्थान के अध्यापक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह इस निमित्त विनियमों में अधिकथित अर्हताएं पूर्ण नहीं कर लेता और संस्थान द्वारा गठित निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी चयन समिति द्वारा ऐसी नियुक्ति की सिफारिश नहीं की जाती-

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली का निदेशक या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि अध्यक्ष होगा, परन्तु यह कि वह प्रतिनिधि आचार्य की रैंक धारण करता हो और आचार्य के रूप में सात वर्ष से कम का अनुभव नही रखता हो;

(ख) भारतीय तकनीकी संस्थान (आईआईटी) बोम्बे, का निदेशक या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, परन्तु यह कि वह प्रतिनिधि आचार्य की रैंक धारण करता हो और आचार्य के रूप में सात वर्ष से कम का अनुभव नही रखता हो;

(ग) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पी.जी.आई.एम.ई.आर.), चण्डीगढ़ का निदेशक या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, परंतु यह कि वह प्रतिनिधि आचार्य की रैंक धारण करता हो और आचार्य के रूप में सात वर्ष से कम का अनुभव नही रखता हो;

(घ) टाटा मेमोरियल सेन्टर, मुम्बई का निदेशक या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, परन्तु यह कि वह प्रतिनिधि आचार्य की रैंक धारण करता हो और आचार्य के रूप में सात वर्ष से कम का अनुभव नही रखता हो;

(ङ) निदेशक जो सदस्य सचिव होगा;

(च) शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले एक ही विषय के दो विशेषज्ञ जो राजस्थान के बाहर स्थित किसी संस्थान से होंगे।

(5) चयन समिति, ऐसी प्रक्रिया जो नियमों द्वारा विहित या विनियमों में अधिकथित की जाये, का अनुसरण करेगी।

(6) चयन समिति द्वारा की गयी कोई भी सिफारिश, जब तक उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थित न कर दी जाये, विधिमान्य नहीं मानी जायेगी। समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यों के दो-तिहाई से होगी।

(7) राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक एवं अधिकारी (नियुक्ति हेतु चयन) अधिनियम, 1974 के उपबन्ध, संस्थान के अध्यापकों और अधिकारियों के चयन पर लागू नहीं होंगे।

**16. शासी निकाय.-** एक शासी निकाय होगा, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(1) प्रेसीडेन्ट;

(2) चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभारी शासन सचिव, जो संस्थान का वाइस-प्रेसीडेन्ट और शासी निकाय का उपाध्यक्ष भी होगा और प्रेसीडेन्ट की अनुपस्थिति में शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करेगा;

(3) संस्थान का निदेशक;

(4) वित्त विभाग का प्रभारी शासन सचिव या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से नीचे की रैंक का न हो;

(5) आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार;

(6) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, परंतु यह कि वह प्रतिनिधि आचार्य की रैंक धारण करता हो और आचार्य के रूप में सात वर्ष से कम का अनुभव नही रखता हो;

(7) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, परंतु यह कि वह प्रतिनिधि आचार्य की रैंक धारण करता हो और आचार्य के रूप में सात वर्ष से कम का अनुभव नही रखता हो;

(8) निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, परंतु यह कि वह प्रतिनिधि आचार्य की रैंक धारण करता हो और आचार्य के रूप में सात वर्ष से कम का अनुभव नही रखता हो;

(9) निदेशक, टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, परंतु यह कि वह प्रतिनिधि आचार्य की रैंक धारण करता हो और आचार्य के रूप में सात वर्ष से कम का अनुभव नही रखता हो;

(10) निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, परंतु यह कि वह प्रतिनिधि आचार्य की रैंक धारण करता हो और आचार्य के रूप में सात वर्ष से कम का अनुभव नही रखता हो;

(11) प्रेसीडेन्ट, आई.आई.एच.एम.आर. विश्वविद्यालय, जयपुर या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, परंतु यह कि वह प्रतिनिधि आचार्य की रैंक धारण करता हो और आचार्य के रूप में सात वर्ष से कम का अनुभव नही रखता हो;

(12) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर का निदेशक या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, परंतु यह कि वह प्रतिनिधि आचार्य की रैंक धारण करता हो और आचार्य के रूप में सात वर्ष से कम का अनुभव नही रखता हो;

(13) निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार;

(14) कुलगुरु, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय;

(15) संस्थान के समस्त संकायाध्यक्ष-पदेन; और

(16) प्रेसीडेन्ट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला संस्थान के कनिष्ठ स्तरीय संकाय का एक सदस्य।

**17. शासी निकाय के कृत्य.-** (1) शासी निकाय संस्थान की कार्यकारी समिति होगी।

(2) शासी निकाय इस अधिनियम के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, संस्थान के कार्यकलापों के साधारण पर्यवेक्षण, निदेश और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) शासी निकाय उप-धारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना-

(क) संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कदम उठायेगा;

(ख) संस्थान के कार्यकरण और कार्यकलापों के प्रशासन से संबंधित संस्थान के विनिश्चयों के कार्यान्वयन के लिए कदम उठायेगा;

(ग) संस्थान में अध्ययन के पाठ्यक्रम संस्थित करेगा और संस्थान द्वारा संचालित परीक्षाओं से संबंधित मामलों सहित समस्त शैक्षणिक मामलों पर विनिश्चय करेगा;

(घ) संस्थान की निधियों और संपत्ति को धारित, नियंत्रित और प्रशासित करेगा;

(ङ) संस्थान के निमित्त कोई जंगम या स्थावर संपत्ति अर्जित या अंतरित कर सकेगा;

(च) संस्थान के व्ययनाधीन रखी गयी किन्हीं भी निधियों का विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रबंध करेगा;

(छ) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार अध्यापकों और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पदों को सृजित या समाप्त कर सकेगा;

(ज) संस्थान के वित्त, लेखा, विनिधान, संपत्ति, कारबार और समस्त अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबंध और विनियमन कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसा अभिकर्ता, जैसा वह उचित समझे, नियुक्त करेगा;

(झ) संस्थान से संबंधित धन का ऐसे स्टॉक, निधियों, अंशों या प्रतिभूतियों में जैसा वह समय-समय पर उचित समझे, विनिधान कर सकेगा;

(ञ) संस्थान के निमित्त संविदायें कर सकेगा, उनमें परिवर्तन, क्रियान्वयन और उन्हे रद्द कर सकेगा;

(ट) इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गये नियमों और विनियमों के अनुसार संस्थान से संबंधित अन्य समस्त मामलों को विनियमित और अवधारित कर सकेगा;

(ठ) संस्थान की किसी समिति या निदेशक या किसी अधिकारी को अपनी शक्तियों में से किसी का भी प्रत्यायोजन कर सकेगा; और

(ड) अन्य संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और अन्य प्राधिकारियों के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए, जैसा कि अवधारित किया जाये, सहयोग कर सकेगा।

**18. वित्त समिति.-** (1) वित्त समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

(क) निदेशक, जो समिति का अध्यक्ष भी होगा;

(ख) चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभारी शासन सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे का न हो;

(ग) वित्त विभाग का प्रभारी शासन सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे का न हो;

(घ) धारा 16 की उप-धारा (6) से (12) में यथा निर्दिष्ट इसके सदस्यों में से शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो व्यक्ति;

(ङ) संस्थान का वित्त अधिकारी, जो समिति का सचिव भी होगा।

(2) वित्त समिति, संस्थान की आय और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय के संबंध में, अनुपालन किये जाने वाले सिद्धातों और उसके लिए सीमाओं को सम्मिलित करते हुए, संस्थान की संपत्ति और निधियों के प्रशासन से संबंधित मामलों पर शासी निकाय को सलाह देगी।

(3) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।

**19. अन्य समितियां.-** संस्थान, ऐसे नियंत्रण और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाये, संस्थान की किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए या किसी मामले पर, जिसे संस्थान उन्हे निर्दिष्ट करे, उसकी जांच करने या रिपोर्ट करने या सलाह देने के लिए उतनी स्थायी समितियां और उतनी तदर्थ समितियां, जैसा कि वह उचित समझे, गठित कर सकेगा।

(2) एक स्थायी समिति अनन्य रूप से संस्थान के सदस्यों से ही मिलकर बनेगी, किन्तु एक तदर्थ समिति में ऐसे व्यक्तियों को, जो संस्थान के सदस्य नहीं है, सम्मिलित किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे व्यक्तियों की संख्या इसकी कुल सदस्यता के आधे से अधिक नहीं होगी।

**20. संस्थान के प्रेसीडेन्ट और सदस्यों तथा समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों को भत्ते.-** संस्थान के प्रेसीडेन्ट और अन्य सदस्यों को और स्थायी समिति या तदर्थ समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को संस्थान से ऐसे भत्ते, जैसा कि विहित किया जाये, प्राप्त होंगे।

**21. राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और उससे संलग्न चिकित्सालयों का निहित होना.-** (1) राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और उससे संलग्न चिकित्सालयों के साथ-साथ,-

(क) वे समस्त भूमियां, जिन पर राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और उससे संलग्न चिकित्सालय स्थित हैं, और उससे अनुलग्न अन्य समस्त भूमियां और ऐसी भूमियों पर समस्त भवन, परिनिर्माण, और फिक्सचर;

(ख) राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और उससे संलग्न चिकित्सालयों के समस्त फर्नीचर, उपस्कर, भंडार, उपकरण और साधित्र, औषधियां, धन और अन्य आस्तियां;

(ग) राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और उससे संलग्न चिकित्सालयों से संबंधित पट्टों सहित, स्थावर और जंगम, समस्त अन्य सम्पतियां और आस्तियां, नकद अतिशेष, आरक्षित निधियों, विनिधानों और ऐसी सम्पत्ति में या उसके संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले समस्त अन्य अधिकार और हित, जो, उक्त प्रारंभ से ठीक पूर्व, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और उससे संलग्न चिकित्सालयों के कार्यकलापों के प्रबंध के प्रभारी व्यक्ति के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में थे; और

(घ) राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और उससे संलग्न और अस्तित्वयुक्त चिकित्सालयों के संबंध में उपगत किये गये समस्त उधार या उनके द्वारा या उनके निमित्त की गई संविदायें और किसी भी प्रकार के अन्य समस्त दायित्व और बाध्यताएं, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित संस्थान में अंतरित हो जायेंगे और आत्यंतिक रूप से निहित हो जायेंगे।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट समस्त या किन्हीं सम्पतियों और आस्तियों के संबंध में प्रत्येक दान-विलेख, विन्यास, वसीयत या न्यास या अन्य दस्तावेज का, इस अधिनियम के प्रारंभ से, ऐसा अर्थ लगाया जायेगा जैसे वह संस्थान के पक्ष में बनाया गया हो या निष्पादित किया गया हो।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, प्रत्येक व्यक्ति, जो कि राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और इससे संलग्न चिकित्सालयों में नियोजित है, प्रतिनियुक्ति भत्ते के बिना,

प्रतिनियुक्ति पर समझा जायेगा, जब तक कि उक्त कर्मचारी के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसकी प्रतिनियुक्ति रदद् नहीं कर दी जाती है या जब तक वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संस्थान का कर्मचारी नहीं बन जाता है।

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति, जो, नियमित भर्ती प्रकिया के माध्यम से चयन के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और उससे संलग्न चिकित्सालयों में नियोजित है और वह सरकारी कर्मचारी नहीं है, इस अधिनियम के प्रारंभ से छह माह के भीतर-भीतर एक विकल्प का प्रयोग करेगा कि क्या वह सरकार में आमेलित होना चाहता/चाहती है।

(5) कोई व्यक्ति जो उप-धारा (4) के अधीन सरकार में आमेलित होने के विकल्प का प्रयोग करता है, सरकार द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा छानबीन के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर, राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 या, यथास्थिति, अन्य कोई सेवा नियमों के अधीन सेवा का सदस्य होगा और सरकार के अन्य सेवा नियम, जो उस पर लागू होते हैं, लागू होंगे, किन्तु पूर्व नियोक्ता से उसके द्वारा प्राप्त उसका वेतन और पूर्व सेवाएं संरक्षित रहेंगी और उसकी वरिष्ठता नियमित सेवा के आधार पर, छानबीन समिति की सिफारिश पर सरकार द्वारा अवधारित की जायेगी।

**22. राज्य कैंसर संस्थान, जयपुर का निहित होना.-** (1) राज्य कैंसर संस्थान, जयपुर के साथ-साथ,-

(क) समस्त भूमियां जिन पर राज्य कैंसर संस्थान, जयपुर स्थित है और उससे अनुलग्न अन्य समस्त भूमियां और ऐसी भूमियों पर समस्त भवन, परिनिर्माण और फिक्सचर;

(ख) राज्य कैंसर संस्थान, जयपुर के समस्त फर्नीचर, उपस्कर, भंडार, उपकरण और साधित्र, औषधियाँ, धन और अन्य आस्तियां;

(ग) राज्य कैंसर संस्थान, जयपुर से संबंधित पट्टों सहित, स्थावर और जंगम, समस्त अन्य सम्पत्तियां और आस्तियां, नकद अतिशेष, आरक्षित निधियों, विनिधानों और ऐसी सम्पत्ति में या उसके संबंध में, या उससे उत्पन्न होने वाले समस्त अन्य अधिकार और हित, जो, ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व, राज्य कैंसर संस्थान, जयपुर के कार्यकलापों के प्रबंध के प्रभारी व्यक्ति के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में थे; और

(घ) राज्य कैंसर संस्थान, जयपुर और अस्तित्वयुक्त के संबंध में उपगत किये गये समस्त उधार या उनके द्वारा या उनके निमित्त की गयी संविदायें और किसी भी प्रकार के अन्य समस्त दायित्व और बाध्यताऐं, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित संस्थान में अंतरित हो जायेंगी और आत्यंतिक रूप से निहित हो जायेंगे।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट समस्त या किन्हीं सम्पत्तियों और आस्तियों के संबंध में प्रत्येक दान-विलेख, विन्यास, वसीयत या न्यास या अन्य दस्तावेज का, इस अधिनियम के प्रारंभ से, ऐसा अर्थ लगाया जायेगा माने कि वह संस्थान के पक्ष में किया गया हो या निष्पादित किया गया हो।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, प्रत्येक व्यक्ति जो कि राज्य कैंसर संस्थान, जयपुर में नियोजित है, बिना प्रतिनियुक्ति भत्ते के, प्रतिनियुक्ति पर समझा जायेगा, जब तक कि संबंधित

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसकी प्रतिनियुक्ति रद्द नहीं कर दी जाती है या जब तक वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संस्थान का कर्मचारी नहीं बन जाता है।

**23. संस्थान द्वारा डिग्रियां, डिप्लोमे आदि प्रदान करना.-** संस्थान को, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन डिग्रियां, डिप्लोमे और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां, सम्मानिक उपाधियां और उपाधियां प्रदान करने की शक्ति होगी।

**24. संस्थान द्वारा अनुदत्त की गई चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता.-** राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन संस्थान द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा डिग्रियां और डिप्लोमे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा संबंधी मान्यता प्राप्त अर्हताएं होंगी।

**25. संस्थान को भुगतान.-** सरकार, इस निमित्त विधि द्वारा राज्य विधान-मण्डल द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में धन की ऐसी राशि और ऐसी रीति से, जैसा सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाये, संस्थान को संदत्त कर सकेगी।

**26. संस्थान की निधि.-** (1) संस्थान एक निधि संधारित करेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे-

(क) सरकार द्वारा उपलब्ध समस्त धनराशियां;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त समस्त फीस और अन्य प्रभार ;

(ग) संस्थान द्वारा अनुदान, दान, संदान, उपकृति, वसीयत या अन्तरण के रूप में प्राप्त समस्त धनराशियां;

(घ) संस्थान द्वारा किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त समस्त धनराशियां।

(2) निधि में जमा की गयी समस्त धनराशियां ऐसे बैंकों में निक्षिप्त की जायेंगी या उनका ऐसी रीति से विनिधान किया जायेगा, जैसा कि सरकार के अनुमोदन से संस्थान विनिश्चित करे।

(3) धारा 8 के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और इसके कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्ययों को सम्मिलित करते हुए, संस्थान के व्ययों को पूरा करने के लिए निधि का उपयोग किया जायेगा।

**27. संस्थान का बजट.-** (1) संस्थान, प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, संस्थान की आगामी प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों को प्रदर्शित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में एक बजट तैयार करेगा और सरकार को, ऐसी संख्या में उसकी प्रतियां, जैसी कि विहित की जाये, अग्रेषित करेगा।

(2) संस्थान के लिए, या तो बजट में मंजूर नहीं किये गये या संस्थान को अनुदत्त निधियों की दशा में, सरकार या भारत सरकार या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउन्डेशन या किसी अन्य ऐजेंसी द्वारा बजट मंजूर किये जाने के पश्चात्, ऐसे अनुदान के निबंधनों के अनुसार के सिवाय, किसी व्यय को संस्थान के लिए उपगत करना विधिपूर्ण नही होगा:

परन्तु अकस्मात् या अकल्पित परिस्थितियों की दशा में, निदेशक द्वारा, अनावर्ती व्यय विहित सीमा तक, चाहे बजट में मंजूर किया गया हो या नहीं, उपगत किया जा सकेगा, और वह इसको, ऐसे समस्त व्यय के संबंध में समस्त ब्यौरों के साथ वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगा।

**28. लेखा और संपरीक्षा.-** (1) संस्थान, उचित लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और तुलन-पत्र सहित लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में, जैसा कि सरकार, नियमों द्वारा विहित करे और सरकार द्वारा, वित्त विभाग के परामर्श से, जारी किये, ऐसे साधारण निदेशों के अनुसार, तैयार करेगा।

(2) संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा ऐसी रीति से और ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी, जो सरकार निर्देशित करे और ऐसी संपरीक्षा की लागत संस्थान की निधि पर प्रभारित होगी।

(3) संपरीक्षक द्वारा यथासंपरीक्षित संस्थान के लेखे, उस पर संपरीक्षा की रिपोर्ट के साथ निदेशक द्वारा शासी निकाय को प्रस्तुत किये जायेंगे, जो उन्हें, ऐसी टीका टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जाये, सरकार को अग्रेषित करेगी।

**29. वार्षिक रिपोर्ट.-** संस्थान उस वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष तैयार करेगा और वह रिपोर्ट, ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीख पर या उससे पूर्व, जैसा कि विहित किया जाये, सरकार को प्रस्तुत करेगा और इस रिपोर्ट की एक प्रति उसकी प्राप्ति के एक माह के भीतर राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, रखी जायेगी।

**30. पेंशन और भविष्य निधि.-** (1) संस्थान, अपने अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, ऐसी पेंशन और भविष्य निधि, जैसा कि वह उचित समझे, गठित करेगा।

(2) जहां, ऐसी कोई पेंशन या भविष्य निधि गठित की गयी है, वहां सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 19) के उपबन्ध ऐसी निधि पर उस रूप में लागू होंगे जैसे यदि वह सरकारी भविष्य निधि थी।

**31. संस्थान के आदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणन.-** संस्थान के समस्त आदेश और विनिश्चय, निदेशक या संस्थान द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे और अन्य समस्त लिखतें ऐसे अधिकारियों के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित की जायेंगी, जिन्हें इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये।

**32. रिक्तियों इत्यादि द्वारा कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.-** इस अधिनियम के अधीन संस्थान, शासी निकाय, वित्त समिति या किसी स्थायी या तदर्थ समिति द्वारा किया गया कोई कार्य या की गयी कोई भी कार्यवाही संस्थान, शासी निकाय, वित्त समिति या ऐसी स्थायी या तदर्थ समिति में केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या उसके गठन में किसी त्रुटि होने के आधार पर प्रश्नगत नहीं की जायेंगी।

**33. सरकार का नियंत्रण.-** (1) संस्थान, ऐसे निदेशों का संपादन करेगा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, जो इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा समय-समय पर संस्थान के कार्यकलापों के दक्षतापूर्ण प्रशासन के लिए जारी किये जायें।

(2) जहां, राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलित हैं, वहां संस्थान, ऐसी निधियों की मंजूरी से संलग्न निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के संबंध में सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित हो सकेगी, अर्थात्:-

(क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन करने;

(ख) अपने किन्ही भी अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण करने;

(ग) अपने किन्हीं भी अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को किसी अतिरिक्त या विशेष वेतन, भत्ता या किसी भी भांति के किसी अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, जिसमें वित्तीय विवक्षा रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदे भी सम्मिलित हों, को मंजूर करने;

(घ) किसी भी निर्धारित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गई थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन करने;

(ड.) स्थावर संपत्ति का विक्रय, पट्टा, बंधक द्वारा या अन्यथा अंतरण करने;

(च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों मे से, ऐसा कोई प्रयोजन, जिसके लिए निधियां प्राप्त की गयी हों, से भिन्न किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करने।

**34. संस्थान और सरकार के बीच विवाद.-** यदि, इस अधिनियम के अधीन संस्थान द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग करने और अपने कृत्यों के निर्वहन में या उनके संबंध में संस्थान और सरकार के बीच कोई विवाद उद्भूत होता है, तो उस पर सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

**35. विवरणियां और सूचना.-** संस्थान ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और अन्य सूचना, जैसी कि सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, सरकार को प्रस्तुत करेगा।

**36. संस्थान का निरीक्षण.-** (1) सरकार को संस्थान का, इसके भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं और उपस्करों सहित तथा उसकी परीक्षाओं, अध्यापन और संस्थान द्वारा संचालित या किये गये किसी अन्य कार्य का भी, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेशित करे, निरीक्षण करवाने का या संस्थान के प्रशासन और वित्त से संबंधित किसी मामले के संबंध में उसी रीति से जांच करवाने का अधिकार होगा।

(2) जहाँ सरकार उप-धारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करवाने का विनिश्चय करती है, वहां वह निदेशक के माध्यम से उसकी सूचना संस्थान को देगी और शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति ऐसे निरीक्षण या जांच पर संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रह सकेगा और उसके पास इस हैसियत से सुने जाने का अधिकार होगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को वही समस्त शक्तियां होंगी, जो शपथ पर साक्ष्य लेने और गवाहों की उपसंजाति और दस्तावेजों तथा भौतिक वस्तुओं को पेश करने के लिए बाध्य करने के प्रयोजन के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 46) की धारा 384 और 385 के अर्थान्तर्गत उन्हें सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उनके समक्ष की गई कार्यवाहियां भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 229 और 267 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जायेंगी।

(4) सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के प्रतिनिर्देश सहित निदेशक को लिखेगी और निदेशक, उस पर की जाने वाली कार्रवाई पर, सरकार द्वारा प्रस्तावित ऐसी सलाह के साथ सरकार का दृष्टिकोण शासी निकाय को संसूचित करेगा।

(5) निदेशक, तब, ऐसे समय के भीतर-भीतर, जैसा कि सरकार नियत करे, शासी निकाय द्वारा की गयी या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई की एक रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि संस्थान के प्राधिकारी, युक्तियुक्त समय के भीतर-भीतर, सरकार के समाधान के लिए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो सरकार किसी ऐसे स्पष्टीकरण, पर विचार करने के पश्चात्, जो ऐसे प्राधिकारी प्रस्तुत करे, ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जैसा वह उचित समझे, और संस्थान के प्राधिकारी ऐसे निदेशों की अनुपालना करेंगे।

(7) सरकार, उप-धारा (1) के अधीन बनवायी गयी निरीक्षण या जांच की प्रत्येक रिपोर्ट की और उप-धारा (5) के अधीन निदेशक से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उप-धारा (6) के अधीन जारी प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेश के अनुपालन या अननुपालन के संबंध में प्राप्त प्रत्येक सूचना के लिए प्रत्येक रिपोर्ट की भी एक प्रतिलिपि प्रेसीडेन्ट को भेजेगी।

**37. नियम बनाने की शक्ति.-** (1) राज्य सरकार, संस्थान से परामर्श के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी:

परन्तु इस धारा के अधीन नियमों को बनाने के प्रथम अवसर पर, संस्थान से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा, किन्तु सरकार, उन सुझावों को ध्यान में रखेगी, जो संस्थान ऐसे नियमों के बनाये जाने के पश्चात् उसमें संशोधन के संबंध में, दे सकेगा।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त या किसी भी मामले पर उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:-

(क) धारा 4 के खण्ड (द) के अधीन खोजबीन और चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) धारा 9 के अधीन संस्थान के प्रेसीडेन्ट द्वारा शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन;

(ग) धारा 10 के अधीन निदेशक के वेतन, परिलब्धियां और भत्ते आदि और अन्य सेवा शर्तें;

(घ) धारा 13 की उप-धारा (2) के अधीन सह-निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया;

(ङ) धारा 13 की उप-धारा (3) में यथाउल्लिखित अधिकारियों की रैंक;

(च) धारा 13 के अधीन संस्थान के सह-निदेशक द्वारा प्रयोग और निर्वहन की जाने वाली अन्य शक्तियां और कृत्य;

(छ) धारा 14 के अधीन संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा प्रयोग और निर्वहन की जाने वाली अन्य शक्तियां एवं कृत्य;

(ज) धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन संस्थान द्वारा नियुक्त किये जा सकने वाले अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और ऐसी नियुक्ति की रीति;

(झ) धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन संस्थान द्वारा नियुक्त संस्थान के अध्यापकों और अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, परिलब्धियां और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(ञ) धारा 15 की उप-धारा (3) के अधीन प्राइवेट प्रेक्टिस या कोचिंग को प्रतिषेध करने की रीति;

(ट) धारा 15 की उप-धारा (5) के अधीन चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित करना;

(ठ) धारा 18 के अधीन संस्थान की वित्त समिति की अन्य शक्तियां और कर्तव्य;

(ड) धारा 19 के अधीन स्थायी और तदर्थ समितियों के गठन के सम्बन्ध में नियंत्रण और निर्बंधन;

(ढ) धारा 20 के अधीन संस्थान के प्रेसीडेन्ट और सदस्यों तथा समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों को संदत्त किये जाने वाले भत्ते, यदि कोई हों;

(ण) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिस पर संस्थान द्वारा बजट और रिपोर्ट तैयार किये जायेंगे और धारा 27 के अधीन सरकार को अग्रेषित की जाने वाली उनकी प्रतियों की संख्या;

(त) वह प्ररूप जिसमें लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों को संधारित किया जायेगा और धारा 28 के अधीन लेखाओं का वार्षिक विवरण और तुलन-पत्र तैयार किया जायेगा;

(थ) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिस पर धारा 29 के अधीन संस्थान द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी;

(द) कोई अन्य मामले जो नियमों द्वारा विहित किये जायेंगे या किये जा सकेंगे।

**38. विनियम बनाने की शक्ति.-** (1) संस्थान, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बना सकेगा और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित समस्त या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कर सकेंगे-

(क) संस्थान की प्रथम बैठक से भिन्न, बैठकें बुलाने और आयोजित करने, समय और स्थान जहां ऐसी बैठकें आयोजित की जायेंगी और धारा 6 के अधीन ऐसी बैठकों का कार्य-संचालन;

(ख) धारा 8 के अधीन निम्नलिखित को संस्थान की शक्ति और कृत्य विनिर्दिष्ट करना,-

(i) खण्ड (च) के अधीन चिकित्सा शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को;

(ii) परीक्षाएं आयोजित करना और खण्ड (झ) के अधीन प्रदान की जाने वाली डिग्रियां, डिप्लोमे और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां और उपाधियां इत्यादि को;

(iii) खण्ड (ञ) के अधीन नियुक्त अध्यापक, अधिकारियों और किसी प्रकार के अन्य कर्मचारियों को;

(iv) खण्ड (ठ) के अधीन संस्थान की सम्पत्तियों के प्रबंधन को;

(v) खण्ड (ड) के अधीन संस्थान द्वारा मांगे या प्राप्त किये जाने वाले फीस और अन्य प्रभारों को;

(vi) खण्ड (ण) के अधीन क्वार्टरों के आबंटन को;

(ग) धारा 9 के अधीन संस्थान के प्रेसीडेन्ट द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन;

(घ) धारा 15 की उप-धारा (5) के अधीन चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ङ) रीति जिससे, और शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए, धारा 30 के अधीन संस्थान के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदों के लिए पेंशन और भविष्य निधि गठित की जा सकेगी;

(च) अन्य किसी मामले हेतु, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा उपबंध किये जा सकेंगे।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रथम विनियम सरकार द्वारा बनाये जायेंगे, और इस प्रकार बनाये गये कोई भी विनियम संस्थान द्वारा उप-धारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए परिवर्तित या विखंडित किये जा सकेंगे।

**39. नियमों और विनियमों का राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जाना.-** इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, उसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिवस की कुल कालावधि के लिए जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि, उस सत्र की जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है या ठीक अगले सत्रों के अवसान के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किसी नियम या विनियम में कोई उपांतरण करता है या राज्य विधान-मण्डल का सदन यह संकल्प करता है कि ऐसा नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम या विनियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नही होगा तथापि उसका ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उस नियम या विनियम के अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

**40. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.-** (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायेगा;

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके, ऐसा किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

ब्रजेन्द्र जैन,
**प्रमुख शासन सचिव।**

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT**
**(GROUP-II)**

NOTIFICATION

**Jaipur, September 17, 2025**

**No. F. 2(26)Vidhi/2/2025.-** In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Ayurvigyan Sansthan, Jaipur Adhiniyam, 2025 (2025 Ka Adhiniyam Sankhyank 14):-

(Authorised English Translation)

# THE RAJASTHAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, JAIPUR ACT, 2025

**(Act No. 14 of 2025)**

(Received the assent of the Governor on the 17th day of September, 2025)

*An*
*Act*

*to provide for the establishment of the Rajasthan Institute of Medical Sciences at Jaipur with a view to develop clinical services in Super Specialities along with Broad Specialities and allied subjects of the highest standard, provide training of the highest caliber to medical teachers and to undertake context-specific research and innovation and for the matters connected therewith or incidental thereto.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Institute of Medical Sciences, Jaipur Act, 2025.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

**2. Definitions.-** In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Director" means the Director of the Institute appointed under section 10;

(b) "Fund" means the Fund of the Institute referred to in section 26;

(c) "Governing Body" means the Governing Body of the Institute constituted under section 16;

(d) "Government" means the Government of the State of Rajasthan;

(e) "Institute" means the institution known as the Rajasthan Institute of Medical Sciences, Jaipur, incorporated under this Act;

(f) "member" means a member of the Institute;

(g) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(h) "President" means the President of the Institute referred to in section 9;

(i) "regulations" means regulations made under this Act;

(j) "Search and Selection Committee" means the committee constituted under sub-section (1) of section 10;

(k) "Secretary In-charge" means the Secretary to the Government In-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary or a Principal Secretary when he is in charge of a department;

(l) "State" means the State of Rajasthan;

(m) "teacher" includes a Senior Professor, Professor, Additional Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Lecturer or any person appointed under this Act, for the conduct of training, research, or imparting medical, paramedical, nursing or other education in the Institute.

**3. Establishment of the Institute.-** The Rajasthan Institute of Medical Sciences (RIMS), Jaipur is hereby established a body corporate under the aforesaid name and as such a body corporate, it shall function as a University established under a State Act and shall have perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property and to contract and shall, by that name, *sue* and be *sued.*

**4. Members of the Institute.-** The Institute shall consist of the following members, namely:-

(a) the Chief Secretary to the Government, - ex-officio;

(b) the Secretary In-charge to the Government in Medical Education Department, - ex-officio;

(c) the Secretary In-charge to the Government in Finance Department, - ex-officio;

(d) the Vice-Chancellor of the Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur, - ex-officio;

(e) the Commissioner, Medical Education Department, Government of Rajasthan, - ex-officio;

(f) the Director of the Institute, - ex-officio;

(g) the Director (Public Health), Medical and Health Department, Government of Rajasthan, - ex-officio;

(h) one member of State Legislative Assembly to be nominated by the Government;

(i) the Director General, Indian Council of Medical Research or his representative not below the rank of Additional Director General;

(j) the Director, All-India Institute of Medical Sciences, Delhi or his duly authorised representative, provided that the representative holds the rank of Professor and has not less than seven years of experience as a professor;

(k) the Director, Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh or his duly authorised representative, provided that the representative holds the rank of Professor and has not less than seven years of experience as a professor;

(l) the Director, Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry or his duly authorised representative, provided that the representative holds the rank of Professor and has not less than seven years of experience as a professor;

(m) the Director, Indian Institute of Science, Bengaluru or his duly authorised representative, provided that the representative holds the rank of Professor and has not less than seven years of experience as a professor;

(n) the Director, Indian Institute of Management, Udaipur or his duly authorised representative, provided that the representative holds the rank of Professor and has not less than seven years of experience as a professor;

(o) the Director, Indian Institute of Technology, Jodhpur or his duly authorised representative, provided that the representative holds the rank of Professor and has not less than seven years of experience as a professor;

(p) the President, IIHMR University, Jaipur or his duly authorised representative, provided that the representative holds the rank of Professor and has not less than seven years of experience as a professor;

(q) all Deans of the Institute – ex-officio; and

(r) a maximum of two members who are persons of eminence in the field of medical sciences shall be selected by the Search and Selection Committee through a process as may be prescribed.

**5. Term of the members.-** (1) Save as otherwise provided in this section, the term of a member, other than an ex-officio member, shall be five years from the date of selection.

(2) The term of office of a member nominated under clause (h) of section 4 shall come to an end as soon as he ceases to be a member of the State Legislative Assembly.

(3) The term of office of an ex-officio member shall continue so long as he holds office by virtue of which he is such a member.

(4) The term of office of a member nominated or selected to fill a casual vacancy shall continue for the remainder of the term of a member in whose place he is nominated or selected.

(5) An outgoing member other than a member nominated under clause (h) of section 4 shall continue in office until another person is selected as a member in his place or for a period of three months, whichever is earlier.

(6) An outgoing member shall be eligible for re-selection.

(7) A member may resign by writing under his hand addressed to the Government, but he shall continue in his office until his resignation is accepted by the Government.

**6. Meetings of the Institute.-** The Institute shall meet at such time and place, as the President may from time to time determine, and shall observe such procedure in regard to the transaction of business at such meetings as may be laid down in the regulations:

Provided that the Institute shall meet at least once in every year:

Provided further that the Institute shall observe at its first meeting such procedure in regard to the transaction of business as the State Government may, by order, specify.

**7. Objects of the Institute.-** The objects of the Institute shall be-

(a) to create a centre of excellence for providing medical care, educational and research facilities of highest order in the field of medical sciences in all specialities;

(b) to develop patterns of teaching at various levels of medical education to set a high standard of medical education;

(c) to bring together, as far as may be, in one place educational facilities of the highest order for the training of personnel in all important branches of health activity;

(d) to attain self-sufficiency in postgraduate medical education to meet the State's needs for specialists and medical teachers;

(e) to focus on integrative medicine strategy to find evidence for complementary solutions for better outcomes at clinical and public health levels; and

(f) to develop research facilities to solve the health issues of Rajasthan State.

**8. Powers and Functions of the Institute.-** With a view to promoting the objects specified in section 7, the Institute shall,-

(a) function as a quaternary referral hospital;

(b) provide for exclusive postgraduate teaching in the science of modern medicine and other allied sciences, including physical and biological sciences;

(c) provide facilities for research in various branches of medical sciences including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH);

(d) provide for the teaching of humanities and social sciences;

(e) conduct experiments in new methods of medical education in order to arrive at satisfactory standards of such education;

(f) specify courses and curricula for various levels of medical education;

(g) subject to the provisions in any other law for the time being in force regarding regulating the higher studies in professional courses, establish and maintain-

(i) medical college with different departments, sufficiently staffed and equipped to undertake medical education in different subjects,

(ii) one or more well-equipped hospitals,

(iii) a dental college with such institutional facilities for the practice of dentistry and for the practical training of students as may be necessary,

(iv) a nursing college sufficiently staffed and equipped for the training of nurses,

(v) rural and urban health organisations which will form centres for the field training of the medical, dental and nursing students of the Institute as well as for research into community health problems, and

(vi) other institutions for the training of different types of health workers, such as physiotherapists, occupational therapists, pharmacists, drug analysts and medical technicians of various kinds;

(h) train teachers from different medical colleges in Rajasthan;

(i) hold examinations and grant such degrees, diplomas and other academic distinctions, honorary degrees, awards, prizes, and titles in medical education as may be laid down in the regulations;

(j) appoint teachers, officers and other employees of any description in accordance with regulations;

(k) receive grants from the Government and gifts, donations, benefactions, bequests and transfers of properties, both movable and immovable, from donors, benefactors, testators or transferors, as the case may be;

(l) manage with any property belonging to, or vested in, the Institute in any manner which is considered necessary for promoting the objects specified in section 7;

(m) demand and receive such fees and other charges as may be specified by the regulations;

(n) provide free treatment to the eligible patients as per the policies of the Government;

(o) construct quarters for its staff and allot such quarters to the staff in accordance with such regulations as may be made in this behalf;

(p) borrow money, with the prior approval of the Government, on the security of the property of the Institute;

(q) innovate in protocols of treatment of various diseases at primary, secondary and tertiary levels and help improve quality of treatment in various medical institutions of the State Government; and

(r) do all such other acts and things as may be necessary to further the objects specified in section 7.

**9. The President.-** (1**)** The Chief Secretary to the Government shall be the President of the Institute and shall also be Chairman of the Governing Body.

(2) The President shall, when present, preside at the meetings of the Institute and shall have the following powers and functions, namely:-

(a) to ensure that the administration of the affairs of the Institute are conducted in accordance with this Act and the rules and regulations made

thereunder and to take such steps, as he deems fit, for the achievement of this object;

(b) to call for such information or records relating to the administration of the affairs of the Institute, as he thinks fit;

(c) to exercise such other powers and perform such other duties as are assigned to him by this Act or as may be prescribed by the rules or laid down in the regulations.

**10. Director of the Institute.-** (1) There shall be a Director of the Institute who shall be appointed by the Government on the recommendation of the Search and Selection Committee consisting of the following members, namely:-

(a) the President of the Institute;

(b) the Director, All India Institute of Medical Sciences, Delhi;

(c) the Director, Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research (JIPMER), Puducherry;

(d) the Director, Indian Institute of Technology, Bombay;

(e) the Director, Post-Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER), Chandigarh;

(f) the Vice-Chancellor, Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur;

(g) the Secretary In-charge to the Government in Medical Education Department, who shall also be the convener of the committee.

(2) The Search and Selection Committee shall forward to the Government, the panel of three names prepared by it, together with a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each of the persons included in such panel.

(3) The Government shall appoint the Director out of the panel of names submitted under sub-section (2).

(4) No person shall be eligible to be appointed as Director unless he or she is, a distinguished academician in the field of healthcare, medical education and research having a minimum seven years' experience as a professor in an institute of National Importance in medical education or Armed Forces Medical College or this Institute and also having the following qualification and experience-

(a) MBBS with postgraduate qualification in Medicine or Surgery or Public Health and their branches,

(b) At least one year of extensive practical and administrative experience in the field of healthcare, medical research and medical education in an academic setting. For this the following types of work experience will be counted as relevant experience against this criterion:-

(i) Head of the Institute;

(ii) Head of Department;

(iii) Dean;

(iv) Additional Principal / Sub-Dean;

(v) Medical Superintendent;

(vi) Experience similar to above.

**Explanation.-** The similarity of the experience shall be decided by the Search and Selection Committee constituted under sub-section (1).

(5) The Director shall act as the Member-Secretary to the Institute as well as the Governing Body.

(6) The Director shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-seven years, whichever is earlier:

Provided that the term of the Director, appointed on deputation, shall be three years which can be extended upto five years or upto attaining the age of sixty-seven years whichever is earlier:

Provided further that, if a person having prior experience to head a similar type of institute of national importance, is selected for the post of the Director, the Governing Body may relax the maximum age limit of sixty-seven years upto seventy years within the limit of the total tenure of five years.

(7) The first Director of the Institute may be appointed by the Government without following the procedure as laid down in sub-section (1) to (3).

(8) Where a vacancy in the office of the Director occurs and it cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provision of sub-section (1) to (3) or there is any other emergency, the Government may appoint any suitable person to be the Director and may, from time to time, extend the term of an appointment under this sub-section, so, however, that the total term of such appointment, including the term fixed in the original order shall not exceed one year.

(9) The conditions of service of the Director, including salary, perks, allowances, leave, pension and provident fund, admissible to him, shall be such as may be prescribed, and until so prescribed shall be determined by the Government.

**11. Removal of the Director.-** (1) Notwithstanding anything contained in this Act, if at any time on the report of inspection conducted under this Act or the report of the President or otherwise, it is found that the Director wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the power vested in him or appears that the continuance of the Director in office is detrimental to the interest of the Institute, the Government may, after making such inquiry as it deems proper, by an order, remove the Director:

Provided that the Government may, at any time before making such order, place the Director under suspension, pending inquiry:

Provided further that no such order shall be made unless the Director has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

(2) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (1) the Government may order that till further orders-

(a) such Director shall refrain from performing the function of the office of the Director, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled;

(b) the functions of the office of the Director shall be performed by the person specified in the order.

**12. Powers and Duties of the Director.-** (1) The Director shall be the Chief Executive and Academic Officer of the Institute.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section (1), the Director shall-

(a) exercise general supervision and control over the affairs of the Institute;

(b) ensure implementation of the decisions of the authorities of the Institute;

(c) be responsible for the imparting of instruction and maintenance of discipline in the Institute.

(3) Where any matter is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or authority or other body of the Institute, empowered by or under this Act to deal with it, the Director may take such action as he may deem fit and inform to the officer, authority or other body who or which, in the ordinary course, would have dealt with the matter:

Provided that if such officer, authority or other body is of opinion that such action ought not to have been taken by the Director, it may refer the matter to the Governing Body that may either confirm the action taken by the Director or annul the same or modify it in such manner, as it thinks fit, and thereupon it shall cease to have effect or, as the case may be, shall take effect in the modified form:

Provided further that such annulment or modifications, as is referred to in the last preceding proviso shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the order of the Director.

(4) Where the exercise of the power by the Director under sub-section (3) involves the appointment of any person, such appointment shall terminate on the appointment being made in accordance with the provisions of this Act or on the expiration of a period of six months from the date of the order of the Director, whichever is earlier.

(5) The Director shall exercise such other powers and perform such other duties as may be assigned to him by or under this Act or as may be delegated to him by the Institute or the President or the Governing Body.

**13. Associate Director.-** (1) There shall be an Associate Director for the Institute.

(2) The Associate Director shall be appointed on deputation by the Government through a selection process as may be prescribed.

(3) In accordance with the selection process, the Secretary In-charge of Medical Education Department shall forward a panel of three names of the officers belonging to the Indian Administrative Service or Central Civil Services or Armed Forces or the Rajasthan Administrative Service, respectively of the ranks as may be prescribed. Associate Director shall be appointed on deputation by the Government from the panel of names so submitted.

(4) The remuneration and allowances of the Associate Director shall be paid by the Institute. The term of the Associate Director shall be three years which can be extended upto five years by the Government on the recommendation of the Institute.

(5) The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 55 years.

(6) Under the administrative control of the Director, the Associate Director shall be responsible for the general administration of the Institute.

(7) The Associate Director shall have such other powers and functions as may be prescribed.

**14. Finance Officer.-** (1) There shall be a Finance Officer for the Institute, who shall be appointed by the State Government on deputation from amongst the officers of the Rajasthan Accounts Service, and his remuneration and allowances, if any, shall be paid by the Institute.

(2) The Finance Officer shall be responsible for presenting the budget and statement of accounts to the Governing Body.

(3) The Finance Officer shall have the duty-

(a) to ensure that no expenditure not authorised in the budget is incurred by the Institute;

(b) to disallow any proposed expenditure which may contravene the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(c) to ensure that no financial irregularity is committed and to take steps to set right any irregularity pointed out during audit;

(d) to ensure that the property and investments of the Institute are duly preserved and managed.

(4) The Finance Officer may require the production of such records and documents of the Institute and the furnishing of such information pertaining to its affairs, as in his opinion may be necessary for the discharge of his duties.

(5) The Finance Officer shall have such other powers and functions as may be prescribed.

(6) The Finance Officer shall be subject to the administrative control of the Director.

**15. Teachers, Other officers and employees of the Institute.-** (1) Subject to such rules as may be prescribed the Institute may appoint such number of teachers, officers and

other employees as may be necessary for the exercise of its powers and discharge of its functions and may determine the designations and grades of such teachers, other officers and employees.

(2) Subject to such rules as may be prescribed, the teachers, officers and other employees of the Institute shall be entitled to such salary, perks and allowances and shall be governed by such conditions of service in respect of leave, pension, provident fund and other matters, as may be prescribed.

(3) Private practice or coaching of any kind shall not be allowed to the teachers, officers and other employees of the Institute.

(4) No person shall be appointed as a teacher of the Institute unless he fulfils the qualifications laid down in the regulations in this behalf, and is recommended for such appointment by a Selection Committee constituted by the Institute consisting of the following members-

(a) Director of All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi, or his duly authorised representative, provided that the representative holds the rank of Professor and has not less than seven years of experience as a professor shall be the Chairperson;

(b) Director of the Indian Institute of Technology (IIT), Bombay or his duly authorised representative, provided that the representative holds the rank of Professor and has not less than seven years of experience as a professor;

(c) Director of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER), Chandigarh or his duly authorised representative, provided that the representative holds the rank of Professor and has not less than seven years of experience as a professor;

(d) Director of the Tata Memorial Centre, Mumbai or his duly authorised representative, provided that the representative holds the rank of Professor and has not less than seven years of experience as a professor;

(e) the Director who shall be the Member-Secretary;

(f) two experts of the same subject who will be from an institute situated outside Rajasthan to be nominated by the Governing Body.

(5) The Selection Committee shall follow such procedure as may be prescribed by the rules or laid down in the regulations.

(6) No recommendation made by the Selection Committee shall be considered to be valid unless it is supported by a majority of the members present. The quorum of the Committee shall be two-thirds of the total members.

(7) The provisions of the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974, shall not be applicable on the selections of the Teachers and officers of the Institute.

**16. Governing Body.-** There shall be a Governing Body consisting of the following members, namely:-

(1) the President;

(2) the Secretary In-charge to the Government in the Department of Medical Education, who shall also be the Vice-President of the Institute and Vice-Chairman of the Governing Body and shall chair the meeting of the Governing Body in the absence of the President;

(3) the Director of the Institute;

(4) the Secretary In-charge to the Government in Finance Department or his representative not below the rank of Joint Secretary;

(5) the Commissioner, Medical Education Department, Government of Rajasthan;

(6) the Director, All India Institute of Medical Sciences, Delhi or his duly authorised representative, provided that the representative holds the rank of Professor and has not less than seven years of experience as a professor;

(7) the Director, All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur or his duly authorised representative, provided that the representative holds the rank of Professor and has not less than seven years of experience as a professor;

(8) the Director, Indian Institute of Management, Udaipur, or his duly authorised representative, provided that the representative holds the rank of Professor and has not less than seven years of experience as a professor;

(9) the Director, Tata Memorial Centre, Mumbai or his duly authorised representative, provided that the representative holds the rank of Professor and has not less than seven years of experience as a professor;

(10) the Director, Indian Institute of Science, Bengaluru or his duly authorised representative, provided that the representative holds the rank of Professor and has not less than seven years of experience as a professor;

(11) the President, IIHMR University, Jaipur or his duly authorised representative, provided that the representative holds the rank of Professor and has not less than seven years of experience as a professor;

(12) the Director of Indian Institute of Technology, Jodhpur or his duly authorised representative, provided that the representative holds the rank of Professor and has not less than seven years of experience as a professor;

(13) the Director (Public Health), Medical and Health Department, Government of Rajasthan;

(14) the Vice-Chancellor, Rajasthan University of Health Sciences;

(15) all Deans of the Institute -ex-officio; and

(16) one member of junior level faculty of the Institute, to be nominated by the President.

**17. Functions of the Governing Body.-** (1) Governing Body shall be the executive committee of the Institute.

(2) Subject to the provisions of this Act the Governing Body shall be responsible for the general supervision, direction and control of the affairs of the Institute.

(3) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Governing Body-

(a) shall take steps for achieving the objectives of the Institute;

(b) shall take steps for implementation of the decisions of the Institute relating to the administration of the affairs and working of the Institute;

(c) shall institute courses of study at the Institute and take decisions on all academic matters including matters relating to the examinations conducted by the Institute;

(d) shall hold, control and administer the property and funds of the Institute;

(e) may acquire or transfer any movable or immovable property on behalf of the Institute;

(f) shall administer any funds placed at the disposal of the Institute for specific purposes;

(g) may create or abolish posts of teachers and other officers and employees according to the provisions of this Act and rules made thereunder;

(h) shall manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the Institute and for that purpose appoint such agent as it may think fit;

(i) may invest the money belonging to the Institute in such stocks, funds, shares or securities as it may from time to time think fit;

(j) may enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the Institute;

(k) may regulate and determine all other matters concerning the Institute in accordance with the provisions of this Act and the rules and regulations made thereunder;

(l) may delegate any of its powers to a committee or the Director or to any officer of the Institute; and

(m) may cooperate with other Institutions, Universities and other authorities in such manner and for such purpose as it may determine.

**18. Finance Committee.-** (1) The Finance Committee shall consist of:-

(a) the Director, who shall also be the Chairman of the Committee;

(b) the Secretary In-charge to the Government in the Department of Medical Education or his nominee not below the rank of Joint Secretary;

(c) the Secretary In-charge to the Government in the Department of Finance, or his nominee not below the rank of Joint Secretary;

(d) two persons to be nominated by the Governing Body from its members as referred to in sub-section (6) to (12) of section 16;

(e) the Finance Officer of the Institute, who shall also be the Secretary of the Committee.

(2) The Finance Committee shall advise the Governing Body on matters relating to the administration of property and funds of the Institute, including limits for and principles to be observed with regard to the recurring and non-recurring expenditure for the ensuing financial year, having regard to the income and resources of the Institute.

(3) The Finance Committee shall have such other powers and duties as may be prescribed.

**19. Other Committees.-** (1) Subject to such control and restrictions as may be prescribed, the Institute may constitute as many Standing Committees and as many ad hoc committees as it thinks fit for exercising any power or discharging any function of the Institute or for inquiring into or reporting or advising upon any matter which the Institute may refer to them.

(2) A Standing Committee shall consist exclusively of members of the Institute, but an ad hoc committee may include persons who are not members of the Institute but the number of such persons shall not exceed one-half of its total membership.

**20. Allowances to the President and the Members of the Institute and the Chairman and members of Committees.-** The President and other members of the Institute and Chairman and members of a Standing Committee or an ad hoc committee shall receive such allowances, from the Institute as may be prescribed.

**21. Vesting of RUHS College of Medical Sciences and Hospitals attached thereto.-** (1) Notwithstanding anything contained in the Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005 (Act No. 1 of 2005**),** the RUHS College of Medical Sciences and hospitals attached thereto together with,-

(a) all lands on which the RUHS College of Medical Sciences and hospitals attached thereto stands, and all other lands appurtenant thereto and all buildings, erections and fixtures on such lands;

(b) all furniture, equipment, stores, apparatus and appliances, drugs, moneys and other assets of the RUHS College of Medical Sciences and hospitals attached thereto;

(c) all other properties and assets, movable and immovable including leases pertaining to the RUHS College of Medical Sciences and hospitals attached thereto, cash balances, reserve funds, investments and all other rights and interests in, or in relation to, or arising out of, such property as were, immediately before the said commencement in the ownership, possession,

power or control of any person in charge of the management of the affairs of the RUHS College of Medical Sciences and hospitals attached thereto; and

(d) all borrowings made or contracts entered into by or on behalf of and all other liabilities and obligations of whatever kind, incurred in relation to the RUHS College of Medical Sciences and hospitals attached thereto and subsisting,

shall stand transferred to and shall vest absolutely in the Institute established under section 3 of this Act.

(2) Every deed of gift, endowment, bequest or trust or other document in relation to all or any of the properties, and assets, referred to in sub-section (1), shall as from the commencement of this Act be construed as if it were made or executed in favour of the Institute.

(3) On commencement of this Act, every person who is employed in the RUHS College of Medical Sciences and Hospitals attached thereto, shall be deemed on deputation without deputation allowance, until his deputation is cancelled by the appointing authority of that employee or until he becomes an employee of the Institute according to the provisions of this Act.

(4) Subject to the provisions of this Act, every person who after selection through regular recruitment process is employed in the RUHS College of Medical Sciences and Hospitals attached thereto immediately before the commencement of this Act and is not a government servant, shall exercise an option within six months from the commencement of this Act, whether he/she wants to be absorbed in the Government.

(5) A person who exercises option under sub-section (4) for absorption in Government, on being found suitable after screening by a Screening Committee constituted by the Government, shall be a member of service under Rajasthan Medical Services (Collegiate Branch) Rules, 1962 or any other service rules, as the case may be, and other service rules of the Government as may be applicable shall apply, but his salary as received by him from past employer and past services shall be protected and his seniority on the basis of the regular service, shall be determined by the Government on the recommendation of the Screening Committee.

**22. Vesting of the State Cancer Institute, Jaipur.-** (1) The State Cancer Institute, Jaipur together with,-

(a) all lands on which the State Cancer Institute, Jaipur stands, and all other lands appurtenant thereto and all buildings, erections and fixtures on such lands;

(b) all furniture, equipment, stores, apparatus and appliances, drugs, moneys and other assets of the State Cancer Institute, Jaipur;

(c) all other properties and assets, movable and immovable including leases pertaining to the State Cancer Institute, Jaipur, cash balances, reserve funds,

investments and all other rights and interests in, or in relation to, or arising out of, such property as were, immediately before the said commencement in the ownership, possession, power or control of any person in charge of the management of the affairs of the State Cancer Institute, Jaipur; and

(d) all borrowings made or contracts entered into by or on behalf of and all other liabilities and obligations of whatever kind, incurred in relation to the State Cancer Institute, Jaipur and subsisting,

shall stand transferred to and shall vest absolutely in the Institute established under section 3 of this Act.

(2) Every deed of gift, endowment, bequest or trust or other document in relation to all or any of the properties, and assets, referred to in sub-section (1), shall as from the commencement of this Act be construed as if it were made or executed in favour of the Institute.

(3) On commencement of this Act, every person who is employed in the State Cancer Institute shall be deemed on deputation without deputation allowance, until his deputation is cancelled by the concerned appointing authority or until he becomes an employee of the Institute according to the provisions of this Act.

**23. Grant of Degrees, Diplomas etc. by the Institute.-** Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force the Institute shall have power to grant degrees, diplomas and other academic distinctions, honorary degrees and titles under this Act.

**24. Recognition of Medical Qualifications granted by the Institute.-** Subject to the provisions of the National Medical Commission Act, 2019, the medical degrees and diplomas granted by the Institute under this Act shall be recognised medical qualifications for the purposes of that Act.

**25. Payment to the Institute.-** The Government may, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Institute in each financial year such sums of money and in such manner as may be considered necessary by the Government for the exercise of its powers and discharge of its functions under this Act.

**26. Fund of the Institute.-** (1) The Institute shall maintain a Fund to which shall be credited-

(a) all moneys provided by the Government;

(b) all fees and other charges received by the Institute;

(c) all moneys received by the Institute by way of grants, gifts, donations, benefactions, bequests or transfers; and

(d) all moneys received by the Institute in any other manner or from any other source.

(2) All moneys credited to the Fund shall be deposited in such banks or invested in such manner as the Institute may, with the approval of the Government, decide.

(3) The Fund shall be applied towards meeting the expenses of the Institute including expenses incurred in the exercise of its powers and discharge of its functions under section 8.

**27. Budget of the Institute.-** (1) The Institute shall prepare in such form and at such time every year a budget in respect of the financial year next ensuing showing the estimated receipts and expenditure of the Institute and shall forward to the Government such number of copies thereof as may be prescribed.

(2) It shall not be lawful for the Institute to incur any expenditure either not sanctioned in the Budget or in the case of funds granted to the Institute subsequent to the sanction of budget by the Government or Government of India or any international organization or foundation or any other agency save in accordance with the terms of such grant:

Provided that in the case of sudden or unforeseen circumstances, non-recurring expenditure up to the prescribed limit may be incurred by the Director, whether sanctioned in the budget or not and he shall present this in the next Finance Committee meeting with all details in respect of all such expenditure.

**28. Accounts and Audit.-** (1) The Institute shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance-sheet in such form as the Government may, by rules prescribe, and in accordance with such general directions as may be issued by the Government, in consultation with the Finance Department.

(2) The accounts of the Institute shall be audited in such manner and by such auditors as Government may direct and the cost of such audit shall be a charge on the fund of the Institute.

(3) The Accounts of the Institute as audited by the auditor together with the audit report thereon shall be submitted by the Director to the Governing Body which shall forward them to the Government with such comments as may be deemed necessary.

**29. Annual Report.-** The Institute shall prepare for every year a report of its activities during that year and submit the report to the Government in such form and on or before such date as may be prescribed and a copy of this report shall be laid before the State Legislature within one month of its receipt.

**30. Pension and Provident Fund.-** (1)The Institute shall constitute, for the benefit of its officers, teachers and other employees in such manner and subject to such conditions as may be specified by regulations, such pension and provident funds as it may deem fit.

(2) Where any such pension or provident fund has been constituted, the Government may declare that the provisions of the Provident Funds Act, 1925 (Central Act No. 19 of 1925) shall apply to such fund as if it were a Government provident fund.

**31. Authentication of the orders and instruments of the Institute.-** All orders and decisions of the Institute shall be authenticated by the signature of the Director or an officer authorised by the Institute in this behalf and all other instruments shall be authenticated by the signature of such officers as may be authorised by the Institute.

**32. Acts and Proceedings not to be invalidated by vacancies, etc.-** No act done or proceeding taken by the Institute, Governing Body, Finance Committee or any standing or *ad hoc* committee under this Act shall be questioned on the ground merely of the existence of any vacancy in, or defect in the constitution of, the Institute, Governing Body, Finance Committee or such standing or *ad hoc* committee.

**33. Control of the Government.-** (1) The Institute shall carry out such directions not being inconsistent with the provisions of this Act as may be issued to it from time to time by the Government for the efficient administration of the affairs of the Institute under this Act.

(2) Where the State Government funds are involved, the Institute shall abide by the terms and conditions attached to the sanction of such funds which may *inter alia* include the prior permission of the Government in respect of the following, namely:-

(a) creation of the new posts of the teachers, officers or other employees;

(b) revision of the pay, allowances, post-retiral benefits and other benefits to any of its teachers, officers or other employees;

(c) grant of any additional or special pay allowance or other extra remuneration of any description whatsoever, including ex-gratia payments or other benefits having financial implications, to any of its teachers, officers or other employees;

(d) diversion of any earmarked fund for the purpose other than that for which it was received;

(e) transfer by sale, lease, mortgage or otherwise of immovable property;

(f) incurring expenditure on any development work from the funds received from the State Government for any purpose other than that for which the funds are received.

**34. Dispute between the Institute and the Government.-** If in or in connection with, the exercise of its powers and discharge of its functions by the Institute under this Act, any dispute arises between the Institute and the Government, the decision of the Government thereon shall be final.

**35. Returns and Information.-** The Institute shall furnish to the Government such reports, returns and other information as the Government may require from time to time.

**36. Inspection of the Institute.-** (1) The Government shall have the right to cause an inspection to be made, by such person or persons as it may direct, of the Institute including its buildings, libraries, laboratories, workshops and equipment and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the Institute or to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finance of the Institute.

(2) Where the Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the Institute of the same through the Director and any person

nominated by the Governing Body may be present at such inspection or inquiry as representative of the Institute and he shall have the right to be heard as such.

(3) The person or persons appointed to inspect or inquire under sub-section (1) shall have all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908), for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects, and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 384 and 385 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023) and the proceeding before him shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 229 and 267 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act No. 45 of 2023).

(4) The Government shall address the Director with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Director shall communicate to the Governing Body, the view of the Government together with such advice as the Government may offer upon the action to be taken thereon.

(5) The Director shall then within such time as the Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Governing Body.

(6) If the authorities of the Institute do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the Government, the Government may after considering any explanation which such authorities may furnish, issue such directions as it may think fit, and the authorities of the Institute shall comply with such directions.

(7) The Government shall send to the President a copy of every report of an inspection or inquiry caused to be made under sub-section (1) and of every communication received from the Director under sub-section (5) and of every direction issued under sub-section (6) and also of every report for information received in respect of compliance or non-compliance with such direction.

**37. Power to make rules.-** (1) The State Government, after consultation with the Institute, may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act:

Provided that consultation with the Institute, shall not be necessary on the first occasion of making of the rules under this section, but the Government shall take into consideration the suggestions which, the Institute may make in relation to the amendment of such rules after they are made.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the procedure to be followed by the Search and Selection Committee under clause (r) of section 4;

(b) the powers and functions to be exercised and discharged by the President of the Institute under section 9;

(c) the salaries, perks and allowances etc. and other conditions of service of the Director under section 10;

(d) the procedure of appointment of Associate Director under sub-section (2) of section 13;

(e) the ranks of the officers as mentioned in sub-section (3) of section 13;

(f) the other powers and functions to be exercised and discharged by the Associate Director of the Institute under section 13;

(g) the other powers and functions to be exercised and discharged by the Finance Officer of the Institute under section 14;

(h) the numbers of teachers, officers and other employees that may be appointed by the Institute and the manner of such appointment under sub-section (1) of section 15;

(i) the salaries, perks and allowances and other conditions of service of teachers and officers and other employees of the Institute appointed by the Institute under sub-section (2) of section 15;

(j) the manner for prohibiting private practice or coaching under sub-section (3) of section 15;

(k) prescribing the procedure to be followed by the Selection Committee under sub-section (5) of section 15;

(l) the other powers and duties of the Finance Committee of the Institute under section 18;

(m) the control and restrictions in relation to the constitution of standing and ad hoc committees under section 19;

(n) the allowances, if any, to be paid to the President and members of the Institute and the Chairman and members of Committees under section 20;

(o) the form in which and the time at which the budget and reports shall be prepared by the Institute and the numbers of copies thereof to be forwarded to the Government under section 27;

(p) the form in which the accounts and other relevant records shall be maintained and annual statement of accounts and balance-sheet shall be prepared under section 28;

(q) the form in which and the time at which the annual report shall be prepared by the Institute under section 29; and

(r) any other matter which has to be or may be prescribed by the rules.

**38. Power to make regulations.-** (1) The Institute with the previous approval of the Government may, by notification in the Official Gazette, make regulations consistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder to carry out the purposes of this

Act, and without prejudice to the generality of this power, such regulations may provide for all or any of the following matters-

(a) the summoning and holding of meetings, other than the first meeting, of the Institute, the time and place where such meetings are to be held and the transactions of business at such meetings under section 6;

(b) the power and functions of the Institute under section 8, to specify-

(i) courses and curricula for various levels of medical education under clause (f);

(ii) to hold examinations and grant degrees, diplomas and other academic distinctions and titles etc. under clause (i);

(iii) the teachers, officers and other employees of any description who may be appointed under clause (j);

(iv) the management of the properties of the Institute under clause (l);

(v) the fees and other charges which may be demanded and received by the Institute under clause (m); and

(vi) the allotment of quarters under clause (o);

(c) the powers and functions to be exercised and discharged by the President of the Institute under section 9;

(d) the procedure to be followed by the Selection Committee under sub-section (5) of section 15;

(e) the manner in which, and the conditions subject to which, pension and provident funds may be constituted for the benefit of officers, teachers and other employees of the Institute under section 30; and

(f) any other matter for which under this Act provisions may be made by the regulations.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the first regulations under this Act shall be made by the Government; and any regulations so made may be altered or rescinded by the Institute in exercise of its powers under sub- section (1).

**39. Laying down the rules and regulations before the Legislative Assembly.-** Every rule and every regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the session in which they are so laid, or of the session immediately following, the House of State Legislature makes any modification in the rule or regulation or the House of State Legislature resolves that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation.

**40. Power to remove difficulties.-** (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provision not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature.

ब्रजेन्द्र जैन,

**Principal Secretary to the Government.**

---

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**